तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। उभयपक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 131 पुराना 136 के खसरा नम्बर 511 की रकबा 2.15 है० किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का 1/2 हिस्सा निहीत राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है। वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता सख्या नया 132 पराना 135 के खसरा नम्बर 509 की रकबा 0.15 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का 1/2 हिस्सा निहीत राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 164 पुराना 149 के खसरा नम्बर 555/459 की रकबा 2.14 है० किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम किशनपुरा तकिया पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है जिसमे वादिनी की माता का पूर्ण हिस्सा निहीत है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का अचानक दिनांक 29.05.2024 को देहावसान हो गया है और देहावसान के पश्चात उक्त उपर वर्णित भूमि मे निहीत वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी की हिस्सा आराजी संयुक्त रूप से प्राप्त हुई है किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व वादी की माता के द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को मालिक घोषित कर सपुर्द कर दी गई जिस पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। इसलिये उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का कोई भी हक हिस्सा नही रखना चाहती है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के माता पिता अर्थात माता मिथलेश कुमारी का दिनाक 29.05.2024 तथा पिता रमेश चन्द मदनावत का पूर्व मे ही, 14.01.2009 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व वादी के अलावा अन्य कोई वारिस उत्तराधिकारी जीवित नही है और प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 उक्त उपर वर्णित भूमि मे कोई भी हक हिस्सा नही रखना चाहते है इसलिये वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति नही है। उभय पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है और वाद वर्णित भूमि के संबंध मे कोई भी वाद विवाद नही है तथा उभय पक्षकारान उक्त प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। उभयपक्षकारान विचाराधीन वाद को लोक अदालत की भावना से राजीनामा के अधार पर निस्तारित करवाना चाहते है। उभय पक्षकारान के मध्य कोई भी दुरभि संधि नही है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के संबध में कोई भी तथ्य नही छिपाया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे वाद वर्णित उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 511 की रकबा 2.15 है० किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र, सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आराजी मे वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता के 1/2 हिस्से एव खसरा नम्बर 509 की रकबा 0.15 है० किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भ अभिलेख निरीक्षिक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित चली आ रही आराजी में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 की माता के 1/2 हिस्से तथा खसरा नम्बर 555/459 की कबा 2.14 है० किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम किशनपुरा तकिया पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित चली आ रही आराजी मे वादी व	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की माता मिथलेश कुमारी की सम्पूर्ण हिस्से आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री पारित कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज किया जावे।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों यथा राजस्व जमाबंदी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मिथलेश कुमारी का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम देवली मच्छियान पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित कृषि आराजी खाता संख्या नया 131 पुराना 136 के खसरा नम्बर 511 की रकबा 2.15 है० किस्म नहरी प्रथम मे वादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का 1/2 हिस्सा, खाता सख्या नया 132 पराना 135 के खसरा नम्बर 509 की रकबा 0.15 है0 किस्म नहरी प्रथम मे वादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है। इसी प्रकार ग्राम किशनपुरा तकिया पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित कृषि आराजी खाता संख्या नया 164 पुराना 149 के खसरा नम्बर 555/459 की रकबा 2.14 है० किस्म नहरी प्रथम वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमे वादिनी की माता का पूर्ण हिस्सा निहित है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 व वादी की माता के द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को मालिक घोषित कर सपुर्द कर दी गई जिस पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। इसलिये उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का कोई भी हक हिस्सा नही रखना चाहती है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 व वादी के अलावा अन्य कोई वारिस उत्तराधिकारी जीवित नही है और प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 उक्त उपर वर्णित भूमि मे कोई भी हक हिस्सा नही रखना चाहते है इसलिये वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 को कोई आपत्ति नही है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की माता श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी श्री रमेश चन्द्र मदनावत का दिनांक 29.05.2024 को देहावसान हो गया है। श्रीमती मिथलेश कुमारी के देहावसान के पश्चात ग्राम देवली मच्छियान एवं किशनपुरा तकिया में स्थित उपरोक्त वर्णित आराजी में मिथलेश कुमारी के स्थान पर कानूनन वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम दर्ज होना चाहिये। उक्त भूमि में मिथलेश कुमारी के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम दर्ज होने के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 रजिस्टर्ड रिलीज डीड के माध्यम से वादी के पक्ष में हक त्याग भी कर सकते है। परन्तु उभयपक्षकारान के द्वारा हस्तगत वाद पत्र में राजीनामा के माध्यम से मिथलेश कुमारी के स्थान पर वादी को खातेदारी घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पंजीकृत रिलीज डीड में लगने वाले पंजीयन शुल्क की हानि होना तय है। प्रकरण में राजस्व हानि होने के कारण उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वादी रिलीज डीड पर लगने वाले पंजीयन शुल्क के बराबर राशि राजकोश में जमा कराये। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि वादी से नियमानुसार राशि उपपंजीयक कोटा में जमा होने के पश्चात ग्राम देवली मच्छियान की आराजी खसरा नं0 511, 509 एवं ग्राम किशनपुरा तकिया की खसरा नं0 555/459 के राजस्व रिकॉर्ड में मिथलेश कुमारी पत्नि रमेशचन्द्र मदनावत के स्थान पर वादी का नाम दर्ज करे। डिकी पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा